International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 06, No. 01(II), January - March, 2024, pp. 29-34

निजता का अधिकार : एक विश्लेषण

डॉ. अखय राज मीणा*

सार

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार दिया गया है, जिसकी व्याख्या में सन् 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने के. पुट्टास्वामी वाद में निजता के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की। आज निजता का अधिकार एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार के रूप में उभर कर सामने आया है। यह अधिकार अपने में दो पक्ष रखता है– सकारात्मक पक्ष और नकरात्मक पक्ष। इस अधिकार के दायरे में व्यक्तिगत पसंद–नापसंद, खान–पान की आदतें, वैयक्तिक साझेदारी, अकेले में रहने का अधिकार, आराम का अधिकार, पूरी नींद लेने का अधिकार, बौद्धिक संपदा अधिकार जैसे अनेक अधिकार आते हैं। लेकिन इस अधिकार को नागरिकों की पहुँच के दायरे तक लाने में चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं। जैसे– साइबर अपराध, राजकीय एजेंसियों द्वारा तलाशी एवं जब्ती, बिना अनुमति के फोन टैपिंग, अमेरिका का प्रोग्राम 'प्रिज्म' तथा पेगाशस जैसे मामले और चैट जीपीटी एवं एआई द्वारा जेनरेटेड डीपफेक वीडियो, ऑडियो, फोटो आदि। प्रस्तुत आलेख में लेखक ने निजता के अधिकार से जुड़ी इन्हीं सब बातों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है।

शब्दकोशः *निजता, एकान्तता, गोपनीयता, अन्तरंगता, स्वायत्तता, बौद्धिक संपदा, स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, संवैधानिक।*

प्रस्तावना

"निजता मानव गरिमा का संवैधानिक मूल है।"[1]

शोध–पद्धति

अध्येता द्वारा प्रस्तुत आलेख को तैयार करने में द्वितीयक स्रोतों का सहारा लिया गया है, तथा तथ्यों का संकलन पुस्तकालयी पद्धति से किया गया है। इस हेतु विभिन्न विद्वानों की पुस्तकों, भारतीय संविधान, विभिन्न अधिनियमों, अन्तरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं व घोषणा–पत्रों तथा न्यायिक निर्णयों का सहारा लिया गया है।

शोध के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध–पत्र को तैयार करने के निम्नांकित उद्देश्य हैं :–

- निजता के अधिकार की वैधानिक/संवैधानिक स्थिति का पता चल सकेगा।
- निजता के अधिकार का दायरा समझ में आ सकेगा।
- निजता के अधिकार के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों को समझा जा सकेगा तथा उनसे निपटने के प्रयास किए जा सकेंगे।

---

* सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय, सिकंदरा, दौसा, राजस्थान।

1 जस्टिस डी.वाई. चन्द्रचूड ने पुट्टास्वामी वाद में 24 अगस्त, 2017 को यह बात कही थी। स्रोत– निजता के अधिकार का फैसला संविधान को नींव के रूप में मान्यता देना था : न्यायमूर्ति चन्द्रचूड, नवभारत टाइम्स, 17 जुलाई, 2021, https://www.navbharattimes.indiatimes.com/india/the-decision-on-the-right-to-privacy-was-to-recognize-the-constitution-as-the-foundation-justice-chandrachud/articleshow/84509254.cms.

साहित्यावलोकन

निजता के अधिकार पर अभी तक प्राप्त सामग्री में सबसे प्रमुख है– पुट्टास्वामी वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2017 में दिया गया निर्णय। इसके अलावा राहुल कुमार व निशान्त वर्मा के आलेख हैं, परन्तु वे भी पुट्टास्वामी वाद के निर्णय तक ही सीमित हैं। इसलिए प्रस्तुत आलेख को तैयार करते समय लेखक ने भारतीय संविधान व शासन व्यवस्था से जुड़ी विभिन्न पुस्तकों का अध्ययन कर निजता के अधिकार सम्बन्धी प्रावधान खोजने का प्रयास किया है। साथ ही भारत में बने विभिन्न कानूनों के साथ–साथ अन्तरराष्ट्रीय स्तर की प्रसंविदाओं एवं घोषणा–पत्रों में भी निजता के अधिकार सम्बन्धी प्रावधानों को पाया है और उन्हें प्रस्तुत आलेख में यथा–संदर्भ समाहित करने का प्रयास किया है।

भूमिका

भारतीय संविधान की जननी संविधान सभा में जब अधिकारों के मुद्दे पर बहस चली, तब सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव ने अधिकारों को दो वर्गों में बाँटे जाने की वकालत की– वाद–योग्य और गैर–वाद योग्य। भारतीय संविधान के भाग–3 में वाद–योग्य अधिकार 'मौलिक अधिकार' शीर्षक के अन्तर्गत रखे गए, जबकि भाग–4 में गैर वाद–योग्य अधिकार 'नीति–निर्देशक' शीर्षक के अन्तर्गत रखे गए।

संविधान के भाग–3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक कुल 24 अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में प्रावधान दिए गए हैं। इन्हीं में से एक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत् अनुच्छेद 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान है। संविधान के इस अनुच्छेद में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।[1] अनुच्छेद 21 राज्य पर यह बाध्यता डालता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की रक्षा करे, चाहे वह दोषी हो या निर्दोष।[2] संविधान (44वां संशोधन) अधिनियम, 1979 द्वारा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को और अधिक महत्त्व दिया गया। अब आपातकाल में भी इस अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता।[3] अनुच्छेद 21 का उद्देश्य कार्यपालिका द्वारा दैहिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप को रोकना है।[4] खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाद (1963) में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में अनेक व्यक्तिगत अधिकारों को निहित माना।[5] ऐसा ही एक अवशिष्ट वैयक्तिक अधिकार निजता का अधिकार है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अगस्त, 2017 को अपनी 9 सदस्यीय पीठ के सर्वसम्मत निर्णय में पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ वाद में मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमिः अन्तरराष्ट्रीय स्तर

प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के रूप में हमें बीज रूप में 'निजता' सम्बन्धी विचार देखने को मिलते हैं, परन्तु निजता के अधिकार को स्पष्ट रूप से मान्यता ब्रिटेन में सेमेन वाद (1604 ई.) में मिली। सेमेन मामले (Semayne's Case) में ब्रिटेन में सर एडवर्ड कोक ने व्यक्ति के निजता के अधिकार को मान्यता प्रदान की। इस मामले में कोक ने कहा था कि, ''हर किसी का घर उसके लिए उसके महल और किले के रूप में है। साथ ही चोट और हिंसा के खिलाफ उसकी रक्षा के लिए और उसकी शांति के लिए है।[6] सन् 1948 में मानव अधिकारों की वैश्विक घोषणा में इसे एक बुनियादी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। मानवाधिकारों की वैश्विक घोषणा के अनुच्छेद 12 में प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति को एकान्तता, परिवार, घर तथा पत्र व्यवहार में मनमाना हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और न ही किसी के सम्मान एवं ख्याति पर कोई आक्षेप किया जा सकेगा।

---

1 बसु, दुर्गादास (अनुवादक–ब्रजकिशोर शर्मा), भारत की सांविधानिक विधि, प्रेंटिस हॉल ऑफ इण्डिया प्रा.लि., नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 78, www.epustakalay.com/book/15852-Bharat-Ki-Sangbidhanik-bidhi-by-durgadas-basu/

2 उपर्युक्त, पृष्ठ संख्या–80

3 जैन, डॉ. पुखराज एवं फड़िया, डॉ. बी.एल., भारतीय शासन एवं राजनीति, साहित्य भवन, आगरा, 1990, पृष्ठ संख्या–196

4 बसु, दुर्गादास, वही, पृष्ठ संख्या 78

5 खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाद, एआईआर 1963–1295

6 कुमार, राहुल, ज्यूरिसप्रूडेंस ऑफ राइट टू प्राइवेसी इन इण्डिया, पेपर्स डॉट एसएसआरएन डॉट कॉम/Sol-3/papers.cfm?abstract-id-3664257, Posted:10 Sep, 2020, Last revised:12 Sep, 2020. SSRN-ID 3664257.pdf.

ऐसे हस्तक्षेप या आक्षेपों से रक्षा का प्रत्येक व्यक्ति का कानूनी अधिकार है।[1] बाद में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अन्तरराष्ट्रीय प्रसंविदा (ICCPR), 1976 के भाग 3 के अनुच्छेद 17 के तहत् प्रत्येक व्यक्ति को उसके एकान्त, परिवार या पत्र–व्यवहार में मनमाने ढंग या अवैध हस्तक्षेप न किये जाने का अधिकार तथा उसके सम्मान तथा प्रतिष्ठा के अवैध अतिक्रमण से स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है।[2]

ऐतिहासिक पृष्ठभूमिः राष्ट्रीय स्तर

भारतीय संविधान में निजता के अधिकार का स्वतंत्र अधिकार के रूप में कहीं भी उल्लेख नहीं है। यह एक अवशिष्ट अधिकार है, जिसे न्यायपालिका के विभिन्न निर्णयों में अनुच्छेद 14, 19 व 21, विशेषतः अनुच्छेद 21 में अन्तर्निहित माना गया है। सर्वोच्च न्यायालय की आठ सदस्यीय पीठ ने एम.पी. शर्मा बनाम सतीश चन्द्रा वाद, 1954 में राज्य द्वारा की जाने वाली तलाशी तथा जब्ती की प्रक्रिया को वैध माना।[3]

खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाद, 1962 में सर्वोच्च न्यायालय की 6 सदस्यीय पीठ ने कहा कि निजता का अधिकार गारंटीशुदा अधिकार नहीं है।[4]अर्थात मौलिक अधिकार नहीं है। परन्तु कोर्ट ने इस निर्णय में निजता के अधिकार को वैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। तत्पश्चात् गोविन्द बनाम मध्य प्रदेश वाद (एआईआर 1975–1378), मेनका गाँधी बनाम भारत संघ वाद (एआईआर 1978–597), आर. राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य वाद (एआईआर 1995–264), पीयूसीएल बनाम भारत संघ वाद (फोन टेपिंग से जुड़ा) (एआईआर 1997–एससी 568), सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य वाद (2010–7 एससीसी 263), यूआईडीएआई बनाम सीबीआई वाद (एसएलपी–सीआरएल–2524/2014) से विस्तार पाता हुआ 2017 में न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी और अन्य बनाम भारत संघ वाद (WP(C)-494/2012) में निजता का अधिकार स्पष्टतः मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त कर सका।

निजता का अधिकार क्या है?

यह एक ऐसा अधिकार है जो व्यक्ति के आन्तरिक क्षेत्र को राज्य और गैर–राज्य अभिनेताओं–दोनों के हस्तक्षेप से बचाता है और व्यक्तियों को स्वायत्त जीवन विकल्प चुनने की अनुमति देता है।[5] निजता (गोपनीयता) के दो पक्ष हैं– एक– सकारात्मक तथा दूसरा–नकारात्मक। नकारात्मक रूप में यह अधिकार राज्य को किसी नागरिक के जीवन और उसकी वैयक्तिक स्वतंत्रता पर अतिक्रमण करने से रोकता है। सकारात्मक रूप में यह अधिकार राज्य पर यह दायित्व डालता है कि वह व्यक्ति की निजता की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करे। निजता का उल्लंघन व्यक्ति को अपकृत्य–आधारित क्षति का दावा करने का अधिकार देता है।[6] निजता को एकान्तता या व्यक्तिगत गोपनीयता भी कहा जाता है। पुट्टास्वामी वाद में सुनवाई के दौरान जस्टिस डी.वाई चन्द्रचूड़ ने निजता को तीन जोनों में बाँटा था–

- पहला, आन्तरिक जोन– शादी, बच्चे पैदा करना।
- दूसरा, प्राइवेट जोन (निजी जानकारी)।
- तीसरा, पब्लिक जोन।

पुट्टास्वामी वाद (2017)

जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी और अन्य बनाम भारत संघ वाद–ॅच्ब्द्ध.494ध्2012 के निर्णय में मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने निजता के

---

1 अनुच्छेद 12, Universal declaration of human rights, 1948, https://www.un.org

2 कपूर, डॉ. एस.के., मानव अधिकार एवं अन्तरराष्ट्रीय विधि, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी (CLA), इलाहबाद, बत्तीसवां संस्करणः 2017, पृष्ठ संख्या–710

3 एम.पी. शर्मा बनाम सतीश चन्द्रा वाद, एआईआर 1954–300

4 निजता का अधिकार : न्यायालय समीक्षाधीन, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर (भारत के सर्वोच्च न्यायालय का ऑनलाइन आर्काइव), 4 जुलाई, 2017, www.scobserver.in/journal/right-to-privacy-court-in-review

5 निजता के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरा पाठ, हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2017, https://www.hindustantimes.com/india-news/supreme-court-privacy-is-fundamentalright-here-s-full-text-of-the-judgement/story-wheiu788nbgbqtJY1KzKo.html

6 कुमार, राहुल, ज्यूरिसप्रूडेंस ऑफ राइट टू प्राइवेसी इन इण्डिया, वही।

अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में अवशिष्ट माना और इसे मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया।

निजता के अधिकार के मामले में पहले याचिकाकर्ता जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी (93) थे। वे कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व जज तथा आन्ध्र प्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य रहे हैं। जस्टिस पुट्टास्वामी ने सन् 2012 में सर्वोच्च न्यायालय में वाद दायर किया था, जिस पर 24 अगस्त, 2017 को निर्णय आया। यह फैसला विभिन्न जनकल्याण कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा आधार कार्ड को अनिवार्य करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं से जुड़ा हुआ है।[1] पुट्टास्वामी वाद के निर्णयन में शामिल न्यायाधीश इस प्रकार थे–जस्टिस जे.एस. खेहर, जस्टिस चेलामेश्वर, जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस आर.एफ. नरीमन, जस्टिस ए.एम. सप्रे, जस्टिस डी.वाई. चन्द्रचूड, जस्टिस एस.के. कौल व जस्टिस अब्दुल नजीर।

निजता के अधिकार का दायरा

पुट्टास्वामी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 9 प्रकार की गोपनीयता को मान्यता दी।[2] ये इस प्रकार है:–

- **शारीरिक गोपनीयता (Body Privacy) :–**व्यक्ति को अपने शरीर की स्वायत्तता प्रदान करना, उसके गोपनीय अंगों तक दूसरों की पहुँच को विनियमित करना तथा उसे शारीरिक दण्ड से सुरक्षा देना। उसके डीएनए, रक्त, मूत्र, सांस आदि की जबरन जाँच को रोकना। इसमें नींद तथा आराम का अधिकार भी शामिल है।
- **स्थानिक गोपनीयता (Territorial Privacy) :–** स्थान की गोपनीयता की सुरक्षा करना, जैसे– पारिवारिक जीवन की पवित्रता, घर तथा अन्तरंगता की सुरक्षा।
- **संचार की गोपनीयता (Communication Privacy) :–** संचार के साधनों तक पहुँच तथा उन पर नियंत्रण के विरूद्ध अधिकार।
- **मालिकाना गोपनीयता :–**स्वयं के बारे में या स्वयं से जुड़ी किसी भी बात या चीज को गुप्त रखने का अधिकार। इसमें तथ्य, जानकारी, ट्रेडमार्क जैसी चीजों को संपत्ति के अधिकार के तहत् गोपनीय माना गया है।
- **बौद्धिक गोपनीयता (Intelectual Privacy) :–**इसमें बौद्धिक संपदा अधिकारों (प्ट्रे) का संरक्षण आता है।
- **निर्णयात्मक गोपनीयता :–**व्यक्तिगत पसंद–नापसंद, खानपान की आदतों, विवाह, प्रजनन, वैयक्तिक अंतरंगता, यौन अभिविन्यास आदि के विषय में निर्णय लेने का अधिकार।
- **सहयोगात्मक गोपनीयता :–** कोई व्यक्ति किसके साथ कैसे सम्बन्ध रखेगा, यह निर्णय करने का अधिकार उसे स्वयं को ही होगा। वैयक्तिक प्रतिबद्धताएं तथा साझेदारी का अधिकार इसी का भाग है।
- **व्यवहारिक गोपनीयता :–**कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से दिखाई देने वाले कार्य करते समय भी अपनी दृश्यता या पहुँच को नियंत्रित कर सकता है।
- **सूचनात्मक गोपनीयता (Informative Privacy) :–** स्वयं के बारे में नकारात्मक जानकारी को फैलाने से रोकना, सकारात्मक बातों को प्रसारित करवाना या स्वयं की इच्छानुसार इन्हें नियंत्रित करना। निजता के अधिकार और संपत्ति के अधिकार दोनों की एक उपज 'वैयक्तिक अधिकार' पर्सनैलिटी राइट्स' को मान्यता मिलना है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत् पर्सनैलिटी राइट्स को भी मान्यता मिल गई है। रजनीकांत वाद (2015) में मद्रास उच्च न्यायालय ने तथा अमिताभ बच्चन वाद (नवम्बर,

---

1 निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट, द वायर, 24–08–2017, https://www.thewirehindi.com/16691/right-to-privacy-fundamental-right-supreme-court-aadhar

2 वर्मा, निशान्त, एकान्तता का अधिकार, Linkedin, www.linkedin.com/pulse/right-to-privacy-nishant-verma

2022)[1] में दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस अधिकार को मान्यता प्रदान की। वैयक्तिक अधिकार के अन्तर्गत आवाज, फोटो, नाम, स्टाइल तथा अपनी कला पर अधिकार आदि आते हैं। प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाले आरोप, भाषण, सूचना पर रोक भी इसके अन्तर्गत आते हैं।

निजता के अधिकार का संरक्षण

यद्यपि भारत में निजता के अधिकार को 2017 में मौलिक अधिकार का दर्जा मिल पाया, परन्तु ऐसा भी नहीं है कि हम इस अधिकार के प्रति बिल्कुल भी जागरूक न रहे हों। प्राचीन भारतीय धर्मग्रन्थ उपदेशात्मक रूप से निजता के अधिकारों को संरक्षण देते हैं, वहीं अंग्रेजी काल में भारतीय दण्ड संहिता जैसे अनेक कानून इस अधिकार का संरक्षण करते हैं।

गॉडविन ने कहा था कि ''कानून स्वतंत्रता के लिए सबसे हानिकारक संस्था है।[2] किन्तु हमारे यहां विभिन्न कानूनों को निजता के अधिकार को संरक्षण प्रदाता के रूप में देख सकते हैं। कॉपीराइट एक्ट, 1957 लिखित एवं प्रकाशित सामग्री पर लेखकों के हितों की सुरक्षा करता है। एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथा अधिसनियम (एमआटीपी एक्ट), 1969 के द्वारा वाणिज्यिक रहस्यों की सुरक्षा की जाती है। यह अधिनियम 01 जून, 1970 को अस्तित्व में आया। परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 के द्वारा पारिवारिक जीवन की पवित्रता का संरक्षण किया गया है। सन् 2019 में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (PDP) विधेयक आया, जो व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा का अधिकार प्रदान करता हैं। भारत सरकार द्वारा गठित बी.एन. श्रीकृष्णा समिति की रिपोर्ट (27 जुलाई, 2018) पर आधारित यह विधेयक व्यक्तियों को तीन तरह के अधिकार प्रदान करने की बात करता था–

- पहुँच, पुष्टि व सुधार का अधिकार।
- डेटा प्रासेसिंग, विपणन व हस्तांतरण का अधिकार।
- भूल जाने का अधिकार।

04 अगस्त, 2022 को भारत सरकार ने इस बिल को वापस ले लिया। इसके स्थान पर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (डीपीडीपीए) 2023 लाया गया। इस अधिनियम द्वारा डेटा की निजता से जुड़े सभी मामलों को विनियमित करने का प्रयास किया गया है। यह अधिनियम निम्न अधिकार डेटा सम्बन्धी प्रदान करता है[3]–

- पहुँच का अधिकार।
- सुधारने का अधिकार।
- सहमति प्रदान करने या वापस लेने का अधिकार।
- डेटा को हटाने या मिटाने का अधिकार।
- नाबालिगों सम्बन्धी डेटा की सुरक्षा।
- शिकायत निवारण का अधिकार।

डीपीडीपीए, 2023 में डेटा पोर्टेबिलिटी का अधिकार तथा भूल जाने का अधिकार उपलब्ध नहीं करवाया गया है।[4] यह अधिनियम शिकायत निवारण तंत्र के रूप में भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान करता है तथा बोर्ड को आर्थिक आस्तियां लगाने की शक्ति प्रदान करता है।[5]

---

1 पनोरिया, पूनम, निजता का अधिकार का नियम और अमिताभ बच्चन केस, एबीपी लाइव, 03 दिसम्बर, 2022 www.applive.com/news/india/rule-of-privacy-amitabh-bachchan-case-Understand-what-is-the-Whole-Metter-abpp-2272766

2 शर्मा, रमेश चन्द राजनीति विज्ञान के मूल सिद्धान्त, वन्दना प्रकाशन, अलवर, 1981 पृष्ठ संख्या–565

3 व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्या–22)

4 डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023, पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की वेबसाइट 'prsindia.org', prsindia.org/billtrack/digita/-personal/-data-protection-bill-2023.

5 व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्या–22)

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ई. (आईटी एक्ट 2000) भारतीय नागरिकों की डिजिटल गोपनीयता की रक्षा के लिए आश्वस्त करता है। इस हेतु सेक्शन–66 व 67 में अधिकतम तीन साल कैद व दस लाख रूपए तक के जुर्माने की व्यवस्था की गई है।[1] सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 तथा ऐसे अन्य कानून भी निजता के अधिकार को संरक्षित करते हैं।

निजता के अधिकार को चुनौतियाँ

कृत्रिम बुद्धिमता एवं चैट जीपीटी के वर्तमान युग में किसी व्यक्ति की निजता को प्रोटेक्ट करना कठिन चुनौती है। ऐसी ही कुछ चुनौतियां अग्रांकित है–

- **साइबर अपराध, जैसे– हैकिंग, स्पैमिंग, फिशिंग, आदि।** एक नया साइबर अपराध चैट जीपीटी व एआई के वर्तमान दौर में डीपफेक के रूप में भी सामने आया है। सीबीएस मॉर्निंग्स की सह–एंकर गेयले किंग का मामला (अक्टूबर, 2023)[2], रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन का मामला[3], अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का मामला (2017)[4], अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का मामला[5], आदि ऐसे ही कुछ मामले हैं।
- **निजी डेटा व्यापार–** अमेरिकी फेडरल ट्रेड एजेंसी ने 2023 में डाटा ब्रोकर इण्डस्ट्री के खिलाफ चेतावनी जारी की है कि यह इण्डस्ट्री यूजर्स के डाटा थर्ड पार्टी एप्स और कम्पनियों को बेचती हैं, जो अपने प्रोडक्ट्स के विज्ञापन के लिए इसका उपयोग करती हैं। यह प्रवृत्ति यूजर्स की निजता के लिए खतरा है।[6],
- **राज्य की तलाशी व जब्ती की शक्ति :–** देश में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), सीबीआई व इनकम टैक्स जैसी 10 केन्द्रीय एजेन्सियों तथा पुलिस, आईबी जैसी राज्य एजेन्सियों के पास तलाशी व जब्ती की शक्तियाँ हैं, जो निजता के अधिकार को सीमित करती हैं।
- **सरकारों द्वारा बैकडोर जासूसी :–** अमेरिका का प्रिज्म प्रोग्राम (2012), भारत का पेगासस मामला, अनधिकृत फोन टेपिंग जैसे अनेक मामले हैं, जो बताते हैं कि राज्य भी पिछले दरवाजे से निजता के अधिकार को बाधित करने में पीछे नहीं है।

निष्कर्ष

निजता का अधिकार किसी भी अन्य मौलिक अधिकार की तरह पूर्ण नहीं है। इस पर राज्य हित, समाज–हित व नैतिकता की दृष्टि से प्रतिबन्ध आरोपित किए जा सकते हैं। इस अधिकार के रास्ते में अन्य बाधाएँ भी हैं। परन्तु भारत में न्यायपालिका सजग प्रहरी के रूप में है, जबकि सरकार की चिंता भी शुभ संकेत है। एआई जनित खतरों से निपटने के लिए नवम्बर, 2023 में लन्दन में एआई पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें 28 देशों तथा यूरोपीय संघ ने एआई सुरक्षा पर पहला समझौता किया।[7] इस समझौते को 'द ब्लेचले डक्लेरेशन' नाम दिया गया।[8] विभिन्न देशों में एआई व साइबर अपराधों से निपटने के लिए कानूनी ढाँचे बनाने के प्रयास जारी हैं। भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 इसी दिशा में एक प्रयास है, जिसे राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने 11 अगस्त, 2023 को स्वीकृति प्रदान की। उम्मीद है कि निजता के अधिकार को मान्यता व बल मिलेगा।

❖◆❖

---

1 राजस्थान पत्रिका, जयपुर, 24 नवम्बर, 2023
2 कौर, अनुमिता, सेलिब्रिटीज की धड़कनें बढ़ा रहे उनके 'एआई डीपफेक' अवतार, राजस्थान पत्रिका, जयपुर, 10 अक्टूबर, 2023, संपादकीय पृष्ठ।
3 राजस्थान पत्रिका, जयपुर, 16–12–2023
4 पण्डित, ध्रुव, डीपफेकः नए खतरों की जद में दुनिया, रसरंग, दैनिक भास्कर, 3 दिसम्बर, 2023
5 उपर्युक्त।
6 गुप्ता, राकेश, निजता ताक पर, कंपनियों को डाटा बेचने से मतलब, राजस्थान पत्रिका, जयपुर 01–10–2023
7 राजस्थान पत्रिका, जयपुर, 02.11.2023
8 राजस्थान पत्रिका, जयपुर, 03.11.2023